न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर (बीकानेर)
अज अदालत अशोक कुमार आर.ए.एस.
मु०नं०/रा०वा०/46/2018 निर्णय दिनांक 27/05/2022

गोरादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कालेरा पट्टा महाजन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

— वादी

बनाम

1/1 कालूराम 1/2 डूंगरराम 1/3 गिरधारी 1/4 हीरालाल 1/5 इन्द्राज पि० मुखराम जाति जाट निवासी खानीसर हाल निवासी चक जोड़ तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती नक्शा जमाबन्दी एवं चिर स्थाई निषेधाज्ञा बर बिनाय शहादत हर किस्म राजस्व रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. एवं धारा 31, 136 LRAct.

उपस्थित :- 1. श्री लालचन्द जाट अधिवक्ता वादीया की ओर से।
2. श्री नेतराम सियाग वकील प्रतिवादीगण की ओर से।
3. पेशकार राज स्टेट की ओर से।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वाद वादीया संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीया ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधि० की धारा 88, 89, 188 व धारा 31, 136 LRAct के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मौजा कालेरा पट्टा महाजन के पुराना ख०नं० 170/29 तादादी 25.00 बीघा वादीया की पुरानी खरीदशुदा कब्जा एवं दखल की खातेदारी भूमि है तथा खरीद की दिनांक से वादीया काबिज होकर लगातार काश्त करती चली आ रही है। पुराना खसरा [illegible] आबादी खला है जिसमें कई का[illegible] कई काश्तकारों की भूमि तरमीम [illegible] भूमि तरमीम नहीं की हुई है। वादीया की भूमि [illegible] अधिकारी द्वारा नक्शे में लालस्याही से तरमीमशुदा है। वादीया की पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार आसे पासे में उत्तर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

पुराना खसरा नम्बर 29, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में पुराना खसरा नम्बर 29 मिन व पश्चिम मे पुराना ख०न० 29 मिन है।

ग्राम कालेरा पट्टा महाजन की रोही का भू-प्रबन्ध विभाग ने बन्दोबस्त की कार्यवाही सन् 2009 से 2011 के मध्य कर पुराने ख०न० 170/29 का नया खसरा नम्बर 51 तादादी 6.32 हैक्टेयर व पुराना ख०न० 222/29 के नये खसरा नम्बर 50 तादादी 2.40 हैक्टेयर बनाकर मिसल बन्दोबस्त एवं एक्स (नक्शा) जिला कलक्टर बीकानेर को सुपुर्द कर दिया गया। वादीया द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त एवं एक्स की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की तो पता चला कि भू-प्रबन्ध विभाग के अमला ने वादीया के पुराने ख०न० 170/29 की 25 बीघा रकबे को पुरानी तरमीम एवं कब्जा काश्त के अनुसार नये नम्बरों को एक्स मे पैमुद नहीं किया है बल्कि मनमर्जी से एक्स मे पैमुद (तरमीम) किया है। क्योंकि पुराना ख०न० 170/29 पहले जिस प्रकार नक्शे मे तरमीम किया हुआ था उसके विपरीत जाकर भू-प्रबन्ध विभाग ने नया खसरा नम्बर 49, 50, 51 की तरमीम की है जिसका भू-प्रबन्ध विभाग को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। भू-प्रबन्ध विभाग ने एक्स मे पुराना ख०न० 170/29 के नये ख०न० 51 बनाकर एक्स मे पैमुद किया है जो बिल्कुल गलत है क्योंकि पूर्व मे नक्शे मे तरमीम पुराना ख०न० 170/29 जिस प्रकार से एवं वादीया का कब्जा था उसके अनुसार ख०न० 51 तादादी 6.32 हैक्टेयर की तरमीम नया ख०न० 49 व 51 की भूमि मे तरमीम का अवैध एवं हकदार है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को शून्य घोषित करवाकर पुरानी तरमीम के अनुसार नक्शे मे फिटिंग कराने की हकदार है।

भू-प्रबन्ध विभाग के अमला द्वारा नया खसरा नम्बर 50 तादादी 2.40 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 1 के नाम व नया खसरा नम्बर 49 मे तरमीमकर आराजीराज दर्ज करने एवं एक्स मे दिखाने की कानूनी गलती की है जो null & void है। भू-प्रबन्ध विभाग को जमाबन्दी के इन्द्राज एवं एक्स की तरमीम को [illegible] आधार होता है लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग ने वादीया के [illegible] काश्त की भूमि को नया ख०न० 51 के रूप [illegible] जबकि वादीया के कब्जे काश्त की भूमि को नया खसरा नम्बर 49 मे स्थित है जिसको आराजीराज दर्ज कर नये नक्शे मे नया ख०न० 49 मे तरमीम किया गया है तथा वादीया के कब्जे काश्त की भूमि को नया ख०न० 50 बनाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

Signature Not Veri
Digitally signed by Ash
Date: 2022.06.20 18:21
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

दर्ज किया है जो अवैध एवं शून्य है। वास्तव मे नया ख०नं० 49.50 पुराना खसरा नम्बर 170/29 मिन से ही बना है, वादीया नया ख०नं० 49,50,51 की तामीम को निष्प्रभावी घोषित करावकर पूर्व मे की गई तामीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार तामीम करवाने का हकदार है तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कराने का हकदार है तथा उसी अनुसार नक्शे मे पैमुद कराने का हकदार है।

वादीया को दिनांक 20-04-2018 को नया बन्दोबस्ती नक्शा एवं जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी हुई वादीया ने प्रतिवादी सं.1 से तहसील चलकर दुरुस्त कराने का प्रतिवादी द्वारा दुरुस्ती की इन्कारी तथा तहसीलदार जरिया दावा पेश करने का कहने पर वादीया को वाद कारण हासिल हुआ यही दिनांक बिनाय दावा बिनाय मुखासमत है।

वादीया द्वारा वाद पत्र के जरिये निवेदन किया कि डिक्री घोषणात्मक बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी बाबत रोही मौजा कालेरा कुआं महाजन के ख०नं० 170/29 की तादादी 25 बीघा पुरानी तामीम अनुसार खातेदार काबिज काश्तकार घोषित कराने का हकदार है जिसकी घोषणा फरमाई जावे तथा ख०नं० 49,50,51 की तामीम को अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित फरमाई राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा मे व जमाबन्दी मे ख०नं० 51 मे दर्ज व नक्शा मे की गई तामीम को हटाकर आराजी राज दर्ज कराने का अनुतोष की मांग की गई। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध ख०नं० 50 की तादादी 2.40 हैक्टेयर भूमि की बाबत चिर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी स० 1 व 2 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी स० 1 की मृत्यु होजाने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित वाद शीर्षक पेश हुआ। वारिसान की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद पत्र मे वर्णित कथनो को अस्वीकार किया।

इसी दौरान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश हुआ [illegible] राजीनामा दो पक्ष भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा [illegible] तामीम मौका के विपरीत होने से निरस्त घोषित करवाकर कब्जा काश्त एवं मौका अनुसार पुनः तामीम कराने एवं रिकार्ड जमाबन्दी मे दुरुस्ती की घोषणा हेतु सहमति जाहिर की।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Ver...
Digitally signed by Ash...
Date: 2022.06.20 18:...
Reason: SelfAttested

वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व उत्तर बाद जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायम नही कर साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये। वादीया की ओर से प्रमाणित नकल नक्शा सम्वत 2019 ख०न० 170/29, नक्शा सम्वत 2009 से 2011 ख०न० 49,50,51, फोटो कापी नजरी नक्शा ख०न० 49,50,51, प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 27 रोही ग्राम कालेरा पट्टा महाजन, जमाबन्दी स० 2067 से 2070 खाता संख्या 17, प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 65, सम्वत 2067-2070 खाता स० 60 कालेरा पट्टा महाजन, प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा रोही कालेरा पट्टा महाजन पेश किये। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही।

बहस सुनी गई। वकील वादीया ने बहस प्रारंभ करते हुए वाद पत्र मे वर्णित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया की रोही मौजा कालेरा पट्टा महाजन के पुराने ख०न० 170/29 की तादादी 25 बीघा खरीद शुदा खातेदारी भूमि है जिस पर खरीद की दिनांक से काबिज काश्त है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट 2009 से 2011 के दौरान तैयार रिकार्ड में वादीया की भूमि को नया खसरा 51 मे तादादी 6.32 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं० 1 की ख०न० 172/29 की नया ख०न० 50 तादादी 2.50 हैक्टेयर बनाकर मिसल बन्दोबस्त एवं नक्शा मे पैमुद कर दी गलती वादीया की पुराना ख०न० 170/29 की 25 बीघा के नये ख०न० 49,50 है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 को नया खसरा नम्बर 49,50 मे तरमीम कर दिया है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जा काश्त की जांच किये बिना मनमर्जी से की गई ख०न० 49,50,51 मे की गई तरमीम निरस्त योग्य है जिसे प्रभावशून्य घोषित कर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम की घोषणा फरमाई जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी दुरुस्ती की घोषणा फरमाई जावे।

प्रतिवादी स० 1, से 1/5 की ओर से विद्वान अधि[illegible] ने वकील वादीया की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूप्रबन्ध [illegible] पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना जो तरमीम की है वह निरस्त योग्य है। मौका अनुसार नयी की गई ख०न० 49,50,51 की तरमीम को निरस्त करके सिरे से तरमीम किये जाने मे उन्हे कोई एतराज नही है। तथा इसी अनुसार

हस्ता०
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

Signature Not Ve
Digitally signed by As
Date: 2022.06.20 18:
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी दुरुस्ती किये जाने में सक्षम है। पेशकार राज का कथन है कि वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिये जाने से राज्य का कोई हित/अहित नहीं है दोनो पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः वाद वादीया के पक्ष मे डिग्री किये जाने मे स्टेट को कोई आपत्ति नही है।

हमने बहस का मनन किया। रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से वाद वादीया साबित होता है अतः वाद वादीया के पक्ष मे स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा मोटी ग्राम भालेरा पट्टा महाजन के पुराने ख०न० 170/29 की तादादी 25 बीघा की नये ख०न० 49,50,51 मे की गई तरमीम को अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है। नये नक्शा मे खसरा नम्बर 51 मे वादीया की तरमीम को निरस्त कर कब्जा काश्त के अनुसार जांच कर पुनः तरमीम करने एवं इसी अनुसार जमाबन्दी दुरुस्ती की आज्ञा प्रदान की जाती है। चिर स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी सरकार 1, 2 ता 5 इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी वादीया को नये ख०न० 50 से बेदखल नही करे तथा वादीया गण वादीया को नये ख०न० 50 ... तथा वादीया गण वादीया के कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप नही करे तथा किसी रूप से अवैध रूप से ... नही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करावे। तहसीलदार लूणकरणसर स्वयं मौका जांच कर 49,50,51 मोटी मौजा भालेरा पट्टा महाजन की मौका जांच करे तथा कब्जा काश्त अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण की तरमीम करे तथा इसी अनुसार रेकार्ड जमाबन्दी दुरुस्त करें। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। ... डिग्री जारी हो। पत्रावली निर्णय से शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 27/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

कुमार

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:21:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : अशोक कुमार, आरएएस

गोरादेवी **बनाम** मुखराम वगै

दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 131,136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 46/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लालचन्द जाट, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई श्री नेतराम सियाग, पैरोकारराज राज्य की ओर से मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीया के पक्ष में स्वीकार की जाकर घेषणा की जाती है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रोही ग्राम लालेरा पट्टा महाजन के पूराने खसरा नम्बर 170/29 की तादादी 25 बीघा की नये खसरा नम्बर 49,50,51 में की गई तरमीम को अवैध एवं प्रभाव शुन्य घोषित किया जाता हैं। नये नक्शा में खसरा नम्बर 51 में वादीया की तरमीम को निरस्त कर कब्जाकाश्त के अनुसार जांच कर पुनः तरमीम करने एवं इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्ती की आज्ञा प्रदान की जाती हैं। चिर स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 इस आशय की जारी की जाती है कि परिवादीगण वादीया को नये खसरा नम्बर 50 से बेदखल नहीं करे ना ही वादीया के कब्जाकाश्त में दख्लान्दाजी करे ना ही किसी अन्य को प्रवेश करावे। ना ही किसी प्रकार का हस्तान्तरण करावे। तहसीलदार लूनकरनसर खसरा नम्बर 49,50,51 रोही मौजा लालेरा पट्टा महाजन को मौका जांच कर कब्जाकाश्त अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण की तरमीम करे तथा इसी अनुसार रेकार्ड जमाबन्दी दुरूस्त करे।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.0[illegible]22 डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:21:26 IST
Reason: SelfAttested

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर